

## विषय सूची

प्राक्कथन कार्यकारी सारांश	v vii	
<b>अध्याय I: विहंगावलोकन</b>		
<b>अनुच्छेद संख्या</b>	<b>पृष्ठ संख्या</b>	
1.1	राज्य का परिदृश्य	1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	4
1.3	प्रतिवेदन की संरचना	4
1.4	सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	5
1.4.1	वित्तीय स्थिति का सारांश	8
1.4.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सारांश	9
1.5	राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	10
1.6	लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें	16
1.6.1	लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा	16
1.6.2	लेखापरीक्षा पश्चात-कुल लोक ऋण	17
<b>अध्याय II: राज्य का वित्त</b>		
2.1	वर्ष 2019-20 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव	19
2.2	निधियों के स्रोत एवं प्रयोग	20
2.3	राज्य के संसाधन	21
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ	22
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	23
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	23
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन	25
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण	31
2.3.3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	37
2.3.4	संसाधनों की वृद्धि में राज्य का प्रदर्शन	38
2.4	संसाधनों का उपयोग	38
2.4.1	व्यय का संयोजन एवं वृद्धि	39
2.4.2	राजस्व व्यय	41
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	42
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय	43
2.4.2.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अनुन्मुक्त दायित्व	46
2.4.2.4	अर्थ-सहाय्य	47
2.4.2.5	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	49

विषय सूची		
2.4.3	पूंजीगत व्यय	50
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	51
2.4.3.2	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	53
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	54
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष वार व्यय	55
2.5	लोक लेखा	56
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	56
2.5.2	आरक्षित निधियां	57
2.5.2.1	राज्य आपदा मोचन निधि	58
2.5.2.2	प्रत्याभूति ऋण मोचन निधि	61
2.6	ऋण प्रबंधन	61
2.6.1	ऋण रुपरेखा: घटक	62
2.6.2	ऋण रुपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	67
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	69
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग	72
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	73
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	74
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	77
<b>अध्याय III: बजटीय प्रबंधन</b>		
3.1	बजट प्रक्रिया	79
3.1.1	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्यो का सारांश	82
3.1.2	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	82
3.2	विनियोग लेखे	83
3.3	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ	83
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	83
3.3.2	अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोजन	84
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/अभ्यर्पण	85
3.4	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	90
3.4.1	एकमुश्त बजट प्रावधान	90
3.5	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	91
3.5.1	बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर	91
3.5.2	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	93
3.5.3	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	95

विषय सूची		
3.5.4	व्यय का प्रवाह	98
3.5.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा	101
3.6	प्रशंसनीय कदम	116
3.7	सिफारिशें	116
<b>अध्याय-IV : लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग</b>		
4.1	उपकर/अधिभार की वसूली	117
4.1.1	राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि में उपकर का कम हस्तांतरण	117
4.1.2	जल संरक्षण उपकर निधि में उपकर का कम हस्तांतरण	118
4.1.3	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि में अधिभार का कम हस्तांतरण	119
4.1.4	राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष में उपकर की राशि का कम हस्तांतरण	121
4.2	राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं किया जाना	123
4.2.1	राज्य सरकार की बजट से इतर उधार एवं आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि	123
4.3	स्थानीय निधियों की जमा	124
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	125
4.4.1	अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना	129
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	131
4.6	निजी निक्षेप स्वाता	135
4.6.1	जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)	137
4.6.2	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड (आरएसआरडीसी)	138
4.6.3	निजी निक्षेप स्वातों का मिलान	139
4.6.4	निजी निक्षेप स्वातों में प्रतिकूल शेष राशि	139
4.6.5	अप्रचलित निजी निक्षेप स्वाते	140
4.7	लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	140
4.8	मुख्य उचंत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	142
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	145
4.10	नकद शेष का मिलान	145
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	145
4.12	स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	146
4.13	विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कम्पनियां	147
4.14	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	148
4.15	पेंशन का अधिक/कम भुगतान	149
4.16	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	150
4.17	निष्कर्ष	150
4.18	सिफारिशें	150

अनुलग्नक		
परिशिष्ट-1.1	राज्य के वित्तीय आंकड़े	153
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2021 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	154
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2020-21 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	156
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े	161
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	164
परिशिष्ट-3.1	बजट सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	165
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	168
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही	170
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	172
परिशिष्ट-3.5	एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ पांच करोड़ से अधिक था)	173
परिशिष्ट-3.6	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	176
परिशिष्ट-3.7	मामले जहाँ विगत तीन वर्षों के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे	184
परिशिष्ट-3.8	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	186
परिशिष्ट-3.9	विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें	190
परिशिष्ट-4.1	वर्ष 2020-21 तक के बकाया आकस्मिक बिलों की स्थिति	192
परिशिष्ट-4.2	वर्ष 2016-21 के दौरान अप्रचलित रहे पीडी स्वातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193
परिशिष्ट-4.3	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	194
परिशिष्ट-4.4	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	196
परिशिष्ट-4.5	विभिन्न विभागों में श्रेणीवार चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का विवरण	199
परिशिष्ट-4.6	पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण	200